राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 03317/2023

राकेश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक सामान्य पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. सामान्य पुलिस निरिक्षक, कोटा रेंज, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.12.2023
आदेश की दिनांक : 23.01.2024

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पुलिस मुख्यालय, बांरा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा कोटा से पुलिस मुख्यालय, बांरा में किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 25.11.2021 को अपीलार्थी की सेवाओं को बहाल कर अपीलार्थी को निलंबन के दौरान कांस्टेबल नं. 1836 के पद पर पुलिस मुख्यालय कोटा आवंटित किया गया था। अपीलार्थी विभाग में सबसे निचले केडर में कम वेतन पर कार्यरत कर्मचारी है। अपीलार्थी की वरिष्ठता को जिलावार दर्शाया गया है इसलिए अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किये लेकिन उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर स्थानान्तरण आदेश दिनांक 05.10.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरंतर कांस्टेबल के पद पर कोटा में कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य